



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

(Established by Chhattisgarh Legislative Assembly Act No. 07 of 2012)

पुराना हाईकोर्ट भवन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन : 07752-220031, 220032, 220033 फैक्स 07752-260294

वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in

क्र. १९९९/अका./पात्रता/2021-22

बिलासपुर, दिनांक ०३/१०/२०२१

प्रति,

1. प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. बिलासपुर (छ.ग.)
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
वि.वि. शिक्षण विभाग
अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश के संबंध में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2021-22 के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिशा-निर्देश।

- संदर्भ:-**
1. वि.वि. पत्र क्र.379/अका./पात्रता/2013 दिनांक 13.06.2013, पत्र क्र. 620/अका./पात्रता/2014 दिनांक 03.06.2014, पत्र क्र. 2043/अका./पात्रता/2015 दिनांक 28.05.2015, पत्र क्र. 310/अका./पात्रता/2016 दिनांक 25.05.2016, पत्र क्र. 235/अका./पात्रता/2017-18 दिनांक 07.06.2017, पत्र क्र. 681/अका./पात्रता/2018-19 दिनांक 14.06.2018, पत्र क्र. 840/अका./पात्रता/2019-20 दिनांक 23.05.2019 एवं पत्र क्र.15/अका./पात्रता/2020-21 दिनांक 22.07.2020
 2. वि.वि. अधिसूचना क्रमांक 617/अका./2018 दिनांक 12.04.2018
 3. वि.वि. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 31.03.2018 का पेनाल्टी संबंधी निर्णय।

—00—

विषयांतर्गत, निम्नानुसार दिशा निर्देशों का पालन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:-

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है:-

अ. स्नातक स्तर के लिए:-

- i. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर एवं मान्य बोर्ड, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. के अंतर्गत संचालित विद्यालयों से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को तथा राष्ट्रीय मुक्त परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- ii. काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया की सूची में सम्मिलित बोर्ड से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- iii. छ.ग. राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालयों से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर में एकीकृत पाठ्यक्रम होने के

[Handwritten Signature]

ब. स्नातकोत्तर स्तर के लिए:-

- I. छ.ग. राज्य स्थित राजकीय विश्वविद्यालय (यथा:- पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., दुर्ग वि.वि., बस्तर वि.वि. जगदलपुर आदि), स्वशासी महाविद्यालयों एवं छ.ग. राज्य के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय से स्नातक की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है:-**अ. स्नातकोत्तर स्तर के लिए:-**

- I. छ.ग. राज्य के बाहर के ऐसे विश्वविद्यालय जो यू.जी.सी. एवं ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त हों, से स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।


3. पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- I. विश्वविद्यालय पात्रता कंडिका क्रमांक 1. के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कराकर प्रवेश देवें। अभ्यर्थियों को अनावश्यक विश्वविद्यालय न भेजें।
- II. पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन फार्म ऑनलाईन उपलब्ध होने के कारण पात्रता आवेदन फार्म भरकर समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी से अग्रेषित कराकर ही विश्वविद्यालय पात्रता प्रकोष्ठ में निर्धारित पात्रता शुल्क के साथ जमा तिथि से न्यूनतम 07 दिवस पश्चात एवं अधिकतम 15 दिवस के भीतर पात्रता प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा।
- III. अभ्यर्थियों को स्वयं आकर आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। बिना प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी के अग्रेषण पात्रता आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जावेगा। प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी पात्रता आवेदन अग्रेषण पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि महाविद्यालय में सीट रिक्त है एवं आवेदनमय दस्तावेज पूर्ण है। अपूर्ण आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
- IV. पात्रता के लिए आवेदन कर रहें आवेदकों का निर्धारित प्रपत्र के साथ पूर्व में उत्तीर्ण किये गये पाठ्यक्रम के समस्त वर्षों/सेमेस्टर की अंकसूचियों संलग्न करना अनिवार्य है। इन अंकसूचियों में पूर्णांक व प्राप्तांक का उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी/प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर लें।
- V. यदि कोई आवेदक अंकसूचियों के स्थान पर ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत कर रहा है तो इस ट्रांसक्रिप्ट में प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर में लिए गये विषयों का एवं पूर्णांक व प्राप्तांकों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी/प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर लें तत्पश्चात्ही आवेदन अग्रेषित करें।
- VI. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता का निर्धारण एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर होगा।
- VII. नियमित विद्यार्थियों हेतु शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होगा। उक्त तिथि के पश्चात आवेदनों के लिए संदर्भित पत्र क्र. 03 में वर्णित अनुसार पात्रता पेनाल्टी राशि महाविद्यालय तथा छात्र पर (यथास्थिति) अधिरोपित की जावेगी। स्वाध्यायी छात्रों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, तत्पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर पेनाल्टी राशि अधिरोपित की जावेगी।

- VIII. प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि जिन छात्रों का नाम प्रवेश की प्रावीण्यता सूचि में हो, उन्हीं के पात्रता आवेदन पत्र को अग्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- IX. छ.ग. शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2021-22 में उल्लेखित प्रावधानों/निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है। तो महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उक्त संदर्भित पत्रों का पालन करना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 03/01/2021


क्र. 99/अका./पात्रता/2021-22

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति जी के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने सूचनार्थ।
5. निजी नस्ती/कार्यालय अभिलेख हेतु।



सहायक कुलसचिव (अका.)

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
 बिलासपुर (छ.ग.)



Application for Eligibility

To,
The Registrar,
Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya,
Bilaspur (Chhattisgarh)

Sir,

I am seeking admission in a college affiliated to your University. As I have migrated from other State/University, I need Eligibility Certificate from the University. Kindly provide it to me. I will be grateful to you.

My personal and academic details are as given hereunder:

Personal Details:

Name of the course applying for :

Session :

Name of the applicant (in Capital) :

Gender :

Date of Birth :

Father's name :

Mother's name :

Address :

Academic Details:

Particulars of Qualifying Examination:

Name of the Course :

Name of the University/Board :

Name of the College/Institute/UTD :

Roll No.	Month & Year of Passing	Percentage	Division/Grade

Specify details of gap in Study (if any):

Roll No.	Month & Year of Passing	Percentage	Division/Grade

Signature of Applicant

Mob. No.

Date:

To be filled in only by the applicants seeking equivalence of the course:

Name and Year of the Course applying for
(Part-II/Part-III/Sem-II/Sem-III/Sem-IV/Final)

Name of the College

Name and Year of passing previous Examination of the course
(Part-I/Part-II/Sem-I/Sem-II/Sem-III/Previous)

Name of the University
.....

Name of the college/ Institute/UTD
.....

Signature of the Applicant

Mob. No.

Date:

To be filled in by BoS/Dean/Committee:

Sr. No.	Subject & Paper Titles of Previous Examination	Subject & Paper Titles of of ABV University	Subject & Papers which are not matching

Note: If the applicant is given permission, he/she shall have to appear in all the Subjects/ Papers which do not match with the course of the ABV Vishwavidyalaya, Bilaspur.

Remarks of the BoS/Dean/Committee: Eligible
(Please Tick the box) Not Eligible

Name & Signature of
BoS/Dean/Committee

Date:

Undertaking of the Student seeking eligibility Certificate

I am submitting the application along with all the relevant documents for the eligibility certificate. I shall comply with the decision of the University. Further, if any of the information or the documents submitted by me are found incorrect, the eligibility given to me may be revoked by the University and I shall accept the decision.

Signature of the Applicant

Forwarded by the Principal

-
- Note: (i) The applicant has to appear himself/herself in the University to apply for the Eligibility Certificate.
(ii) He/she shall have to deposit Rs. 250/- as a fee for the Certificate along with the application.
(iii) If the applicant applies for the certificate after the due date, he/she shall have to pay Rs. 500/- as late fee.
-

Documents to be attached by the Applicant:

- i. Copies of Mark sheets from 10th to last Qualifying Examinations.
- ii. Domicile Certificate (Issued by Competent Authority)
- iii. Affidavit for change in Name/Surname.
- iv. Gap Certificate (If any)
- v. A Copy of Seat allotment letter (where required)
- vi. Two Pass port size latest photographs
- vii. Migration Certificate
- viii. undertaking of the Applicant
- ix. Syllabus of the previous University (Only for Equivalence seeking Applicants)
- x. Admit Card/ Certificate from the Exam Centre regarding proof of appearing in the exam at the Centre (Only for open university Distance mode examinations)